



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092025-265845
CG-DL-E-01092025-265845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3867]

नई दिल्ली शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 3867]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3972(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 195(अ), दिनांकित 6 मार्च, 2000 के द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा) सं.-26 (पुरानी रारा सं. 201) को ओडिशा राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे उक्त 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा ओडिशा राज्य में रारा सं.-26 (पुरानी रारा सं. 201) के बारगढ़ - बलांगीर खंड के डिजाइन चैनेज 0.000 से किमी 72.000 तक चार लेन अथवा अधिक के खंड के उपयोग के लिए 20.937 किमी (तालिका-2) और 0.63 किमी (0.063 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली) [तालिका-3] की समतुल्य कुल संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर दर पर तथा पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए 49.655 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% दर पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (डिजाइन चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है
ओडिशा राज्य के बलांगीर जिले में टाउन बलांगीर के निकट रारा-26 के किमी 48.650 पर	20.937 [60 मीटर से अधिक लम्बाई वाले सरचनाओ को छोड़कर]	चार लेन अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
ओडिशा राज्य के बलांगीर जिले में टाउन बलांगीर के निकट रारा-26 के किमी 48.650 पर	49.655	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचना की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
ओडिशा राज्य के बलांगीर जिले में टाउन बलांगीर के निकट रारा-26 के किमी 48.650 पर	0.063 [^]	0.63	चार लेन अथवा अधिक लेन के उपयोग के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

[^]ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
2.708	2.771	बड़ा पुल	0.063

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 350 रु. (तीन सौ पचास रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।
4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 338.08 करोड़ रु. है। वन भूमि के विपथन, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरओ/बीबीएसआर/11017/मिस. कोर. ऑफ टेक/29/2008/ई-190432]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2025

S.O. 3972(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 195(E) dated the 6th March, 2000 issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), Central Government has entrusted the stretch of National Highway No.26 (Old NH No. 201) in the State of Odisha to the State Government of Odisha.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the said “rules”), the Central Government, hereby levies the fee at base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 20.937 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 0.63 km (having length of 0.063 km [Table-3]) for use of four lane or more section and at Sixty (60%) percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 49.655 km [Table-2] for use of two lane with paved shoulder section on the type of vehicle specified in column (1) of Table 1 below for use of Bargarh - Bolangir section from design chainage Km 0.000 to Km 72.000 of National Highway Number 26 (old NH-201) in the State of Odisha and authorises National Highways Authority of India (NHAI) to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per Km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two axles)	2.20
Three-axle commercial vehicle	2.40
Heavy construction machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV)(four to Six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for the net road length Specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (Design Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 48.650 of NH-26 near town Bolangir in District Bolangir of the State of Odisha.	20.937 [Excluding length of structures > 60 m]	100% for four or more lane, of base rates mentioned in Table-1 above
At Km 48.650 of NH-26 near town Bolangir in District Bolangir of the State of Odisha.	49.655	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 48.650 of NH-26 near town Bolangir in District Bolangir of the State of Odisha	0.063 [^]	0.63	100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above

[^] The details are as under:-

Chainage		Type of structure	Length (in km)
From Km	To Km		
2.708	2.771	Major Bridge	0.063

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purpose and resides within a distance of twenty kilometres from the Toll Plaza is Rs. 350.00 (Rupees Three Hundred & Fifty Only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for One way Journey	Two	Twenty four hours from the time of Payments
Two-third of amount of the fee Payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicle, its permissible load, category of exempted vehicle, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per Kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is **338.08 Crore** [The capital cost is subject to variation as the activities of Diversion of forest land, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. RO/BBSR/11017/Misc.cor.ofTech/29/2008/E-190432]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.